राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–8 / 2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024 / 41
दायर दिनांक– 12.04.2024
निर्णय दिनांक–30.10.2024

1. करतारसिंह पुत्र नन्दराम जाति जाट नि0 ग्राम पनेर तह0 रूपनगढ़ ——प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान। —अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 37 के ख0न0 465 रकबा 2.8719 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है तथा उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णितानुसार कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि मे किसी भी अन्य खातेदार का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। ख0न0 469 किस्म गै0मु0 नदी सहित दोनो तरफ राज्य सरकार पड़ोसी खातेदार होने से पक्षकांर के रूप में संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक (लेण्ड होल्डर) होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये [illegible] आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करवाने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:26:07 IST
Reason: SelfAttested

Mahima
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गई। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाव पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की वहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाव को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खाता संख्या 37 के ख0न0 465 रकबा 2.8719 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Mahima

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

महिमा कसाना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:26:07 IST
Reason: SelfAttested